ए.

मीनल भार्गव बनाम.

नवीन शर्मा

(2018 का सिविल अपील सं. 1606 आदि)मई 09,2018

बी.

[ए**.** के**.** सिकरी और अशोक भूषण**,** जे**.** जे**.]**

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971:

सी.

एस.12(1) आर/डब्ल्यू एस।12(3) – अपीलकर्ता (पत्नी) ने अपने पति (प्रतिवादी) को अपने बेटे के साथ छोड़ दिया-कनाडा की अदालत ने कनाडा की अदालत के आदेश का पालन किए बिना बच्चे की हिरासत पति-पत्नी को दे दी, भारत आई-पति ने भारत में उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की-पक्ष कुछ शर्तों पर समझौता कर गए-इसके बाद पति ने सहमति की शर्तों को लागू करने और अदालत की अवमानना के लिए पत्नी को सजा देने के लिए अवमानना याचिका दायर की-उच्च न्यायालय ने पत्नी को छह महीने के नागरिक कारावास की सजा देते हुए अदालत की अवमानना का दोषी पाया-अपील पर कहा गयाःउच्च न्यायालय ने इन आरोपों पर विचार किए बिना पत्नी को अवमानना के लिए दंडित करना सही नहीं था कि क्या उसने सहमति की शर्तों के तहत अपने दायित्वों को पूरा किया-वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करने के संबंध में समझौता कार्यवाही में किया गया था जो अनिवार्य रूप से बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित था-इसलिए, उच्च न्यायालय का ध्यान बच्चे की अभिरक्षा पर होना चाहिए था और उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को बहाल करना चाहिए था और योग्यता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए था-अवमानना याचिका में पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है-बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को पुनर्जीवित किया जाता है जिसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष पर किया जाएगा।

डी.

ई.

एफ.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

जी.

पकड़नाः**1.** जब अपीलार्थी को अवमानना याचिका का नोटिस दिया गया**,** तो उसने यह कहते हुए जवाब दायर किया कि उसने समझौते के तहत आवश्यक कदम उठाए हैं और यह प्रत्यर्थी ही है जो **16** अप्रैल**, 2015** को कनाडा की अदालत द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने में विफल रहा**,** जिससे वह अमेरिका जाने के लिए अक्षम हो गई**,** क्योंकि वहां पहुंचने पर उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता था।

एच.

521 ए.

522 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 4 एस. सी. आर.

उपरोक्त आदेश को देखते हुए यू**.** एस**.** ए**./**कनाडा।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फ्लैटों की सूची उन्हें नहीं भेजी गई थी।इसके अलावा**,** निपटारे के बाद प्रत्यर्थी का आचरण अच्छा नहीं था।उसने **11** दिसंबर**, 2017** को अतिरिक्त जवाब भी दायर किया था जिसमें कहा गया था कि **(i)** उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार**,** वह प्रत्यर्थी और उसकी मां से मिलने के लिए दिल्ली के होटल गई थी**,** लेकिन वहां उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था**, (ii)** उसने पाया था कि प्रत्यर्थी को उसके नियोक्ता द्वारा रिश्वत लेने के लिए निकाल दिया गया था और वह सरकार के प्रति भी सच्चा नहीं था और **(iii)** प्रत्यर्थी ने भरण**-**पोषण के रूप में एक भी पैसा नहीं दिया था।इसके बाद अपीलार्थी द्वारा **19** दिसंबर**, 2017** को **17** दिसंबर**, 2015** के आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन किया गया था।**[**पैरा **15] [530-**ए**-**सी**]**

बी.

सी.

2. उच्च न्यायालय ने उस महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया है जिस पर ऐसे मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है**,** अर्थात्**,** क्या वह अपीलार्थी था जो सहमति आदेश की शर्तों का पालन नहीं करने के लिए जिम्मेदार था और इस तरह उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया गया था।उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण था कि अपीलार्थी को उस स्तर पर भी समझौते की शर्तों का पालन करने के लिए जोर दिया जाए और जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया**,** तो यह निष्कर्ष निकला कि उसने अदालत के आदेश की अवमानना की थी क्योंकि उपरोक्त आचरण घृणित पाया गया था।इस प्रकार**,** यह अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा दिखाया गया जिद्दी रवैया है जिसे उच्च न्यायालय ने तूल दिया है।अदालत की अवमानना के लिए अपीलार्थी को दंडित करने के लिए यह सही दृष्टिकोण नहीं था।अवमानना याचिका प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी ने सहमति की शर्तों और इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया था।अतः**,** उच्च न्यायालय के लिए यह

आवश्यक था कि वह चर्चा करे और विचार करे, पहली बार में, कि क्या प्रत्यर्थी के ये आरोप सही थे।[पैरा **18] [531-**डी-एच]

डी.

ई.

एफ.

3. जिन सहमति शर्तों पर पक्षों ने मामले को सुलझा लिया, उनमें समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, अर्थात् दोनों पक्षों ने फिर से एक साथ रहने का फैसला किया।यह उन कार्यवाही में हुआ जो अनिवार्य रूप से बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित थी।इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब दोनों पक्ष वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए सहमत हुए और फिर से पति-पत्नी के रूप में रहने का फैसला किया, तो ए

जी.

एच.

523

मीनल भार्गव बनाम नवीन शर्मा ए

अभिरक्षा की समस्या अपने आप हल हो गई क्योंकि इससे एक आदर्श स्थिति पैदा हुई जहाँ बच्चा अपने माता-पिता दोनों का साथ दे सकता था।लेकिन, यह बात अमल में नहीं आई।यहां तक कि जब एक सक्षम अदालत द्वारा पति या पत्नी में से किसी एक के पक्ष में वैवाहिक अधिकारों की डिक्री दायर की जाती है, तो भी इस तरह की डिक्री को निष्पादित नहीं किया जा सकता है और दूसरे पति या पत्नी को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, जिसे वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया जाता है।यह एक अलग मामला है कि इस तरह की डिक्री का पालन नहीं करने के लिए, डिक्री धारक को तलाक लेने के अधिकार सहित अन्य परिणाम सामने आते हैं।जब अपीलार्थी को प्रत्यर्थी की कंपनी में शामिल होने के लिए मजबूर करने और अदालत के आदेश की अवमानना करने में उसे दंडित करने में विफल रहने पर सक्षम अदालत द्वारा पारित डिक्री के संबंध में भी यह स्थिति है, तो वह भी अधिकतम दीवानी कारावास की सजा देकर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।इस तरह के मामले में, उच्च न्यायालय का ध्यान बच्चे की अभिरक्षा पर होना चाहिए था, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का विषय था।हालाँकि, जहाँ तक उस पहलू का संबंध है, उच्च न्यायालय ने बस इतना कहा कि वह प्रत्यर्थी के लिए **16** अप्रैल, **2015** के कनाडाई न्यायालय के आदेश को निष्पादित करने के लिए खुला रहेगा।यहाँ फिर से उच्च न्यायालय गलती में पड़ गया है।वास्तव में, इस तरह के मामले में, उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को बहाल करना चाहिए था और गुण-दोष के आधार पर इसका फैसला करना

चाहिए था।हालाँकि, जब प्रत्यर्थी द्वारा इस उद्देश्य के लिए आवेदन दायर किया गया था, तो ऐसा करने के बजाय उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को अवमानना याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देते हुए **05** अक्टूबर**, 2017** के आदेश पारित किए।इसलिए, उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया जाता है जिसमें अपीलार्थी को अवमानना के लिए दंडित किया गया था।**[**पारस **19,20] [532-**ए**-**एफ**,** जी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

4. यह प्रत्यर्थी के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका को दबाने के लिए खुला होगा और यदि वह ऐसा चाहता है तो उच्च न्यायालय पहले यह पता लगाकर अवमानना याचिका का फैसला करेगा कि क्या अपीलार्थी अपनी दलीलों में सही है कि यह प्रत्यर्थी ही है जिसने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए कि अपीलार्थी संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चे के साथ प्रत्यर्थीगण की कंपनी में शामिल हो। प्रत्यर्थी की अपील को भी आंशिक रूप से उच्च न्यायालय के निर्देश को दरकिनार करके अनुमति दी जाती है जिसमें प्रत्यर्थी को निष्पादन याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है।इसके बजाय दोनों पक्षों की सहमति से **05** अक्टूबर**, 2017** का आदेश पारित किया गया।

जी.

एच.

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में प्रत्यर्थी द्वारा दायर विविध आवेदन को दरकिनार कर दिया जाता है और उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को पुनर्जीवित किया जाता है, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि बच्चे की अभिरक्षा प्रत्यर्थी को सौंपी जानी है या नहीं।**[**पैरा **20] [532-**जी**-**एच**;** **533-**ए**-**बी**]**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2018 की सिविल अपील No.1606।

बी.

2017 की डी. बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 1846 में जयपुर पीठ, जयपुर में राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 09.01.2018 से

सी.

के साथ

2018 की सिविल अपील संख्या 3629।

श्रीमती अंजना प्रकाश, वरिष्ठ अधिवक्ता, अमित पवन, अनुज प्रकाश, अभिषेक अमृतांशु, आनंद नंदन, रजत कपूर, हसन जुबैर वारिस, अक्षत श्रीवास्तव, रोहित राजरशी, अधिवक्ता। अपीलार्थीगण के लिए।प्रभजीत जौहर, सुश्री उपासना गुप्ता, एस. एस. जौहर, अधिवक्ता। प्रत्यर्थी के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1.2017 की डी. बी. सिविल अवमानना याचिका संख्या 1846 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित 9 जनवरी, 2018 के आदेशों के विभिन्न हिस्सों को चुनौती देते हुए दोनों पक्षों द्वारा दायर ये प्रति-याचिकाएं हैं।पार्टियाँ पति और पत्नी हैं।वर्ष 2007 में उनकी शादी के बाद, पत्नी संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) में अपने पति के साथ शामिल हो गईं।उनके बच्चे, जिसका नाम प्रणव है, का जन्म अगस्त, 2009 में बाल्टीमोर, यू. एस. ए. में हुआ था। 2010 में वे कनाडा चले गए।कुछ कारणों से, वैवाहिक संबंध तनावपूर्ण हो गए और पत्नी अर्थात्। मीनल भार्गव (इसके बाद 'अपीलकर्ता' के रूप में संदर्भित) ने अपने पति नवीन शर्मा (इसके बाद 'प्रतिवादी' के रूप में संदर्भित) का साथ छोड़ दिया और 26 जुलाई, 2013 को प्रणव को अपने साथ लेकर अपने पति से दूर चली गईं।शुरू में, कुछ समय के लिए, वह बफ़ेलो, न्यूयॉर्क में रहीं और उसके बाद अगस्त, 2013 में भारत आईं।

ई.

एफ.

जी.

2. प्रत्यर्थी ने कनाडा की एक अदालत में प्रणव की हिरासत के लिए मामला दायर किया।29 अक्टूबर, 2014 के आदेश के अनुसार, न्यायालय ने अस्थायी ए.

एच.

525

मीनल भार्गव बनाम नवीन शर्मा [ए. के. सिकरी, जे.] ए.

प्रत्यर्थी को प्रणव की अभिरक्षा।उस समय तक, अपीलकर्ता प्रणव को भारत यानी 4 अगस्त, 2013 को ले आया था।29 अक्टूबर, 2014 को प्रत्यर्थी के पक्ष में प्रणव की अस्थायी अभिरक्षा देने के आदेश के पारित होने के बाद, अपीलार्थी की मां ने कनाडा की एक अदालत में एक प्रस्ताव दायर किया जिसमें कहा गया कि कनाडा में उक्त अदालत का इस मामले में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।हालाँकि, इस तर्क को अदालत ने खारिज कर दिया था और इसके बाद 2 अप्रैल, 2015 को एक और आदेश पारित किया गया था जिसमें अपीलार्थी को प्रणव को अपने अधिकार क्षेत्र में वापस करने और 16 अप्रैल, 2015 को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया था।अपीलार्थी ने इस आदेश का पालन नहीं किया, जिसके कारण एफ. बी. आई./इंटरपोल द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया।

बी.

3. चूंकि अपीलार्थी कनाडा के न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर गया था और प्रणव के साथ भारत आया था, इसलिए उसे कोई अन्य विकल्प नहीं मिला, इसलिए प्रत्यर्थी ने राजस्थान के उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की।उक्त याचिका में अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया था।विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने पहली बार में समाधान की संभावना का पता लगाना उचित समझा।इस प्रकार, 17 दिसंबर, 2015 के आदेश द्वारा, पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।इस प्रयास का फल मिला क्योंकि प्रत्यर्थी और अपीलार्थी ने मामले को सुलझा लिया।

सी.

डी.

4. अपीलार्थी यू. एस. ए. वापस आने और प्रणव के साथ प्रत्यर्थी की कंपनी में शामिल होने के लिए सहमत हो गया।सहमति की शर्तों को दर्ज किया गया और उसके आधार पर, उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर, 2015 के आदेश के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा किया, जिसमें समझौते की उन शर्तों को अपने आदेश में शामिल किया गया और पक्षों को इसका पालन करने का निर्देश दिया गया।सहमति की ये शर्तें इस प्रकार हैं:

ई.

“(1) दोनों पक्ष आज से 4 महीने के भीतर अपने-अपने मामले वापस ले लेंगे।

एफ.

(2) श्री नवीन शर्मा श्रीमती के चयन के लिए 3 से 4 फ्लैटों का पता लगाएंगे। मीनल और श्रीमती. मीनल फिर उनमें से एक का चयन करने के लिए अमेरिका जाएगी।यह प्रक्रिया 18 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।

(3) इस बीच श्री नवीन शर्मा श्रीमती मीनल और प्रणव से मिलने के लिए कम से कम तीन बार भारत आएंगे।इसी तरह श्रीमती मीनल अपने बेटे के साथ सुरक्षा के तहत अमेरिका इस

शर्त पर जाएंगी कि श्री नवीन यात्रा के खर्च सहित उनके सभी खर्चों की व्यवस्था करेंगे और यह काम करेंगे कि यदि वे दोनों भारत लौटना चाहते हैं तो श्री नवीन उनकी सुरक्षित भारत वापसी की व्यवस्था करेंगे।

जी.

एच.

526

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 4 एस सी आर।

(4) श्री नवीन शर्मा द्वारा खरीदा जाने वाला फ्लैट दोनों पक्षों के संयुक्त नाम पर होना चाहिए।कोई भी पक्ष इस फ्लैट या इसके किसी भी हिस्से को स्वतंत्र रूप से बेचने का हकदार नहीं होगा।श्री नवीन शर्मा ऋण के खिलाफ संपार्श्विक प्रतिभूति की व्यवस्था करेंगे और किसी भी मामले में फ्लैट को श्रीमती मीनल शर्मा के स्वामित्व और कब्जे से नहीं लिया जाना चाहिए।यदि कोई गड़बड़ी होती है तो फ्लैट श्रीमती मीनल शर्मा के स्वामित्व में रहेगा।

बी.

(5) श्री नवीन, श्रीमती मीनल और प्रणव फ्लैट खरीदने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त रूप से रहेंगे।दोनों पक्षों का कोई भी परिवार का सदस्य उनके जीवन में बाधा नहीं डालेगा और हस्तक्षेप नहीं करेगा।"

सी.

5. कुछ कारणों से, जीत-जीत की स्थिति प्राप्त करने की उम्मीद में प्रशंसनीय समझौता वास्तविकता में नहीं बदल गया।प्रत्यर्थी के अनुसार, यह अपीलार्थी ही है जिसने उक्त समझौते का उल्लंघन किया और इन शर्तों का पालन करने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश में निहित निर्देशों का भी उल्लंघन किया।चूंकि वह समझौते का पालन करने में विफल रही और इस संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया, इसलिए प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय में दीवानी अवमानना याचिका दायर कर अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत अपीलार्थी को सहमति की शर्तों और सजा के निष्पादन की मांग की।इसके बाद अपीलार्थी ने 17 दिसंबर, 2015 के सहमति आदेश को वापस लेने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया। उच्च न्यायालय ने 9 जनवरी, 2018 के विवादित फैसले में अपीलार्थी को अवमानना में पाया है और अपीलार्थी को चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के निर्देश के साथ अधिनियम की धारा 12 (3) के साथ पठित धारा 12 (1) के तहत अधिकतम छह महीने के दीवानी कारावास की सजा सुनाई है। उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर, 2015 के आदेश को वापस लेने के लिए अपीलार्थी द्वारा

दायर आवेदन को भी खारिज कर दिया है। हालाँकि, इसने 16 अप्रैल, 2015 के कनाडाई अदालत के आदेश के अनुसार उसे प्रणव की अभिरक्षा देने के प्रत्यर्थी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है और इसके बजाय, प्रत्यर्थी को उक्त आदेश के निष्पादन की अनुमति दी है।

डी.

ई.

एफ.

6. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के खिलाफ उपरोक्त आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसे अपने आदेश की अवमानना करने और उक्त सजा देने के लिए कहा गया है।प्रत्यर्थी आदेश के उस हिस्से से व्यथित महसूस करता है जिसमें उच्च न्यायालय ने उसे प्रणव की अभिरक्षा देने से इनकार कर दिया है और उसे निष्पादन का मार्ग दिखाया है।संक्षेप में, यह इस न्यायालय के समक्ष दो अपीलों का दायरा है।

जी.

एच.

527

मीनल भार्गव बनाम नवीन शर्मा [ए. के. सिकरी, जे.] ए.

ए.

7. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रणव का जन्म 22 अगस्त, 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाल्टीमोर में हुआ था।उनके पास अमेरिकी नागरिकता है।शादी के बाद दोनों पक्ष अमेरिका या कनाडा में रह चुके हैं।वे कनाडा के साथ-साथ अमेरिका के भी स्थायी निवासी बन गए हैं।अगस्त, 2009 में अपने जन्म की तारीख से, प्रणव अपने माता-पिता के साथ, शुरू में अमेरिका में और उसके बाद 26 जुलाई, 2013 तक कनाडा में रहे, जब अपीलार्थी उनके साथ बफ़ेलो, न्यूयॉर्क चला गया और उसके बाद 4 अगस्त, 2013 को भारत आया।प्रणव चार साल तक अपने पिता के साथ, उसकी माँ के साथ रहा और तब से वह प्रत्यर्थी को छोड़कर उसकी माँ के साथ रह रहा है।वह 4 साल के थे जब उन्हें अपीलार्थी द्वारा भारत लाया गया था और अब साढ़े चार साल से अधिक समय से भारत में हैं।एक अन्य प्रासंगिक तथ्य जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि प्रत्यर्थी को कनाडा की अदालत से प्रणव की अभिरक्षा देने का आदेश मिला है और उसने अपीलार्थी को बच्चे को कनाडा वापस करने का निर्देश दिया है।

बी.

सी.

8. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, प्रत्यर्थी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए याचिका दायर की थी।हालाँकि, उक्त याचिका पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई नहीं की गई क्योंकि पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेज दिया गया था, जहाँ उन्होंने 17 दिसंबर, 2015 के आदेश के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा किया, जिसे सहमति की शर्तों पर आदेश का हिस्सा बनाया गया था और दोनों पक्षों को उन शर्तों का पालन करने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए गए थे।हम पहले ही सहमति की शर्तों को नोट कर चुके हैं जिनके अनुसार पक्षों को उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख से 4 महीने के भीतर एक-दूसरे के खिलाफ अपने-अपने मामले वापस लेने थे।प्रत्यर्थी अपीलार्थी के चयन के लिए 3 से 4 फ्लैटों का पता लगाने के लिए बाध्य था। इन फ्लैटों को चुनने के बाद, उन्हें अपीलार्थी को वही दिखाना था।अपीलार्थी को उस समय उक्त फ्लैटों में से किसी एक का चयन करने के लिए अमेरिका जाना था।इस चयन पर, उसे प्रणव के साथ प्रत्यर्थी में शामिल होना था, जिससे फिर से वैवाहिक गठबंधन हासिल हुआ और प्रणव को अपने माता-पिता दोनों की संगति का लाभ मिला।यह पूरी प्रक्रिया 18 महीने के भीतर पूरी की जानी थी।18 महीनों की उपरोक्त अवधि के दौरान, जो प्रत्यर्थी को संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लैटों का पता लगाने के लिए दी गई थी, प्रत्यर्थी को अपीलार्थी और प्रणव से मिलने के लिए कम से कम तीन बार भारत आने की अनुमति दी गई थी।इसी तरह, अपीलार्थी और प्रणव को भी सुरक्षा में अमेरिका जाना था और इस तरह की यात्राओं के लिए, यात्रा खर्च सहित अपने सभी खर्चों की व्यवस्था करना प्रत्यर्थी की जिम्मेदारी थी।इस तरह की यात्राओं के दौरान, वे अपनी पसंद के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के हकदार थे और जब भी वे भारत लौटने की इच्छा रखते थे, तो प्रत्यर्थी को उनकी सुरक्षित भारत वापसी की व्यवस्था करनी होती थी।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

9. सहमति की शर्तों के अनुसार, प्रत्यर्थी पर तीन मुख्य दायित्व लगाए गए थे, अर्थात्।:

(i) यू. एस. ए. में 3-4 फ्लैट ढूंढना ताकि अपीलार्थी उनमें से एक का चयन कर सके।चुना गया फ्लैट परिवार का निवास बनना था।

((ii) अपीलार्थी के खिलाफ दायर मामलों को वापस लेना।इसमें पुलिस में दर्ज शिकायत शामिल थी और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए गए थे कि एफ. बी. आई./इंटरपोल द्वारा जारी वारंट/रेड-कॉर्नर नोटिस भी वापस ले लिया जाए।यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अपीलार्थी के सुचारू प्रवेश के लिए आवश्यक था।

बी.

(iii) अपीलार्थी द्वारा फ्लैट के चयन के बाद, प्रत्यर्थी उक्त फ्लैट को संयुक्त नामों से खरीदने के लिए बाध्य था।

सी.

10. इसी तरह, अपीलार्थी उपरोक्त कथनों के अनुसार निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए बाध्य थाः

(i) प्रत्यर्थी के खिलाफ उसके द्वारा दायर सभी मामलों को वापस लेना।((ii) प्रत्यर्थी द्वारा 3 से 4 फ्लैट निर्धारित करने के बाद, उनमें से एक का चयन करने के लिए अमेरिका जाना।

डी.

(iii) फ्लैट का चयन करने और अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के संयुक्त नामों से प्रत्यर्थी द्वारा उसकी खरीद करने पर, उसे प्रणव के साथ यू. एस. ए. जाना था और प्रत्यर्थी के साथ वहां रहना था।

11. कुछ कारणों से, पक्ष अलग हो गए और समझौते की शर्तों को फलीभूत नहीं किया जा सका जिससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई।प्रत्यर्थी के अनुसार, उसने उक्त शर्तों का पालन करते हुए अपनी भूमिका निभाई थी क्योंकि उसने 12 फरवरी, 2016 को एफबीआई/इंटरपोल द्वारा जारी इलिनोइस पुलिस शिकायत, वारंट/रेड-कॉर्नर नोटिस को वापस ले लिया था।उन्होंने तीन बार यानी अगस्त, 2016, दिसंबर, 2016 और अगस्त, 2017 में भी भारत की यात्रा की।इन यात्राओं के दौरान, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को अपनी पसंद चुनने के अनुरोध के साथ अपने द्वारा ऑनलाइन चुने गए विभिन्न फ्लैट दिखाए थे। हालाँकि, अगस्त, 2017 में अपनी तीसरी यात्रा पर, अपीलकर्ता ने प्रणव को प्रत्यर्थी से मिलने की अनुमति नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप 26 अगस्त, 2017 को एस. एच. ओ., अजमेर में पुलिस शिकायत दर्ज की गई।प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को 31 अगस्त, 2017 को 3 सितंबर, 2017 को यात्रा करने के लिए हवाई टिकट भी भेजे ताकि वह और प्रणव संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा कर सकें। प्रतिवादी आगे दावा करता है कि उसने अपीलार्थी के साथ प्रणव के लिए डिज्नी वर्ल्ड, फ़्लोरिडा की यात्रा की भी योजना बनाई थी।प्रत्यर्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी द्वारा किए गए सभी प्रयासों के बावजूद, यह अपीलार्थी ही है जो पीछे हट गई और समझौते से पीछे हट गई क्योंकि वह अपनी भूमिका निभाने में विफल रही।

ई.

एफ.

जी.

एच.

529

मीनल भार्गव बनाम नवीन शर्मा [ए. के. सिकरी, जे.] ए.

ए.

12. दूसरी ओर, अपीलार्थी प्रत्यर्थी को दोषी ठहराता है जिसके कारण उपरोक्त विफलता हुई। उनका आरोप है कि 17 दिसंबर, 2015 के आदेश के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा होने के बाद, उन्होंने 12 अप्रैल, 2016 को अपने द्वारा दायर निम्नलिखित मामलों को वापस लेने की मांग करते हुए निम्नलिखित तीन याचिकाएं दायर कीं:

(i) परिवार न्यायालय, अजमेर के समक्ष उसके द्वारा दायर अभिरक्षा याचिका।((ii) परिवार न्यायालय, अजमेर के समक्ष उनके द्वारा दायर रखरखाव का मामला।(iii) परिवार न्यायालय, अजमेर के समक्ष उसके द्वारा दायर तलाक का मामला।13. अपीलार्थी द्वारा आगे यह दावा किया जाता है कि आई. पी. सी. की धारा 498-ए आदि के तहत उसके द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को भी उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया भारतीय दण्ड संहिता, 1973 (Cr.P.C) की धारा 482 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर एक याचिका पर रद्द कर दिया गया था, जो समझौते के अनुसार उसकी कोई आपत्ति नहीं होने के कारण हुआ था।प्रत्यर्थी पर उंगली उठाते हुए, उसका आरोप है कि उसने कनाडा की अदालत में उसके द्वारा दायर हिरासत मामले को वापस नहीं लिया और/या 16 अप्रैल, 2015 के आदेश को छुट्टी/रद्द करने की मांग की, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में प्रणव की हिरासत का आदेश दिया गया था।वह यह भी आरोप लगाती है कि प्रत्यर्थी निर्धारित 18 महीने के समय के भीतर उसे फ्लैटों की सूची भेजने में विफल रहा, जिसका उल्लेख सहमति की शर्तों में किया गया था।इस प्रकार, अपीलार्थी के अनुसार, यह प्रत्यर्थी है जिसने समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है।वास्तव में, उसने याचिका में विविध आवेदन भी दायर किया जो प्रत्यर्थी द्वारा धारा 482 Cr.P.C के तहत दायर किया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा 12 अप्रैल, 2017 को इस आधार पर उक्त आदेश को वापस लेने की अनुमति दी गई थी कि यह प्रत्यर्थी ही था जिसने समझौते का उल्लंघन किया था।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने 9 मई, 2017 के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त आदेश अपीलार्थी को नोटिस जारी करने के बाद पारित किया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

14. इस तरह के गतिरोध के साथ, प्रत्यर्थी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में इस आधार पर एक विविध आवेदन दायर किया कि अपीलार्थी ने सहमति की शर्तों का उल्लंघन किया था। हालाँकि, इस आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया था कि यदि इसमें अपीलार्थी की ओर से कोई उल्लंघन या अवज्ञा हुई थी, तो प्रत्यर्थी के लिए अवमानना याचिका दायर करने के लिए एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था।इस प्रकार, इस आवेदन को 5 अक्टूबर, 2017 के आदेश द्वारा वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया था, जिसमें प्रत्यर्थी को अवमानना याचिका दायर करने की स्वतंत्रता थी।इसके बाद, प्रत्यर्थी ने 7 नवंबर, 2017 को अवमानना याचिका दायर की, जिसकी परिणति 9 जनवरी, 2018 के विवादित फैसले में हुई।

जी.

एच.

15. हम इस स्तर पर उल्लेख कर सकते हैं कि जब अवमानना याचिका का नोटिस अपीलार्थी को दिया गया था, तो उसने यह कहते हुए जवाब दायर किया कि उसने समझौते के तहत आवश्यक कदम उठाए थे और यह प्रत्यर्थी ही है जो 16 अप्रैल, 2015 को कनाडा के न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राप्त करने में विफल रहा, जिससे वह अमेरिका जाने के लिए अक्षम हो गई क्योंकि उपरोक्त आदेश को देखते हुए उसे अमेरिका/कनाडा में उतरने पर तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता था।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फ्लैटों की सूची उन्हें नहीं भेजी गई थी।इसके अलावा, निपटारे के बाद प्रत्यर्थी का आचरण अच्छा नहीं था।उसने 11 दिसंबर, 2017 को अतिरिक्त जवाब भी दायर किया था जिसमें कहा गया था कि (i) उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, वह प्रत्यर्थी और उसकी मां से मिलने के लिए दिल्ली के होटल गई थी, लेकिन वहां उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था, (ii) उसने पाया था कि प्रत्यर्थी को उसके नियोक्ता आईबीएम द्वारा रिश्वत लेने के लिए निकाल दिया गया था और वह सरकार के प्रति भी सच्चा नहीं था और (iii) प्रत्यर्थी ने रखरखाव के रूप में एक भी पैसा नहीं दिया था।इसके बाद अपीलार्थी द्वारा 19 दिसंबर, 2017 को 17 दिसंबर, 2015 के आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन किया गया था।

बी.

सी.

16. अपीलार्थी के उपरोक्त रुख पर एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ ध्यान दिया गया है, अर्थात्, यह अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती अंजना प्रकाश का तर्क है कि उच्च न्यायालय ने, विवादित निर्णय में, अपीलार्थी की प्रस्तुतियों पर चर्चा और विचार भी नहीं किया है कि उसने आदेश या सहमति की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया था और इसके विपरीत, यह प्रत्यर्थी है जो उसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश को पढ़ने से यह पता चल सकता है कि उच्च न्यायालय की पीठ अपीलार्थी को प्रणव के साथ प्रत्यर्थी की कंपनी में शामिल होने के लिए जोर देती रही और उसके ऐसा करने से इनकार करने पर, उच्च न्यायालय ने यह विचार रखा है कि अपीलार्थी ने न्यायालय के आदेशों की कड़ी अवज्ञा की है।इस प्रक्रिया में, उच्च न्यायालय ने यह जांचने की भी परवाह नहीं की है कि सहमति आदेश के पालन के संबंध में किसकी गलती थी।उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने एक अन्य बाहरी कारक को ध्यान में रखा।इसने विवादित फैसले में उल्लेख किया है कि अपीलार्थी के पिता द्वारा अदालत में बयान दिया गया था कि धारा 482 Cr.P.C के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दायर याचिका में पारित 9 मई, 2017 के आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उसके निर्देशों के बिना दायर किया गया था।हालाँकि, यह झूठा दावा पाया गया क्योंकि उच्च न्यायालय ने उस मामले का रिकॉर्ड मांगा और पाया कि आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और यह महसूस करने पर, यह स्वीकार किया गया कि वकील ए

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

इस तरह का आवेदन करने का निर्देश दिया गया था।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भले ही यह सही था, लेकिन जहां तक अवमानना मामले का संबंध है, इसका कोई असर नहीं है।

17. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री जौहर ने पूरा दोष अपीलार्थी पर डाल दिया, जिसने उसके अनुसार, समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने के इरादे से ग्रीष्मकालीन हमला किया क्योंकि मन बदल गया था और उसने पति की कंपनी में शामिल नहीं होने का फैसला किया था।उन्होंने यह प्रदर्शित करने के लिए बहुत मेहनत की कि प्रत्यर्थी

ने समझौते के संदर्भ में सभी आवश्यक कदम उठाए थे।वह अभी भी चाहते थे कि अपीलकर्ता पारिवारिक संबंधों को बचाने के लिए वैवाहिक गठबंधन को फिर से शुरू करे और प्रणव को दोनों माता-पिता के साथ रहने में सक्षम बनाए।

बी.

सी.

18. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तों की दलीलों पर विधिवत विचार किया है।जैसा कि ऊपर विस्तार से उल्लेख किया गया है, दोनों पक्ष समझौते की शर्तों की विफलता के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं।इस पृष्ठभूमि में, हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश का अध्ययन किया है।पूरे फैसले में, उच्च न्यायालय ने उस महत्वपूर्ण पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया है जिस पर ऐसे मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है, अर्थात् क्या वह अपीलार्थी था जो सहमति आदेश की शर्तों का पालन नहीं करने के लिए जिम्मेदार था और इस तरह 9 मई, 2017 के अपने आदेशों में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन किया।आखिरकार, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी की ओर से निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की थी।जवाब में, अपीलार्थी ने यह रुख अपनाया था कि वह घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं थी और इसके लिए प्रत्यर्थी को पूरी तरह से दोषी ठहराया था।उच्च न्यायालय ने इन पहलुओं पर चर्चा नहीं की है।इसके विपरीत, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण अपीलार्थी को उस स्तर पर भी समझौते की शर्तों का पालन करने के लिए जोर देना था और ऐसा करने से इनकार करने पर यह निष्कर्ष निकला कि उसने अदालत के आदेश की अवमानना की थी क्योंकि उपरोक्त आचरण घृणित पाया गया था।इस प्रकार, यह अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी द्वारा दिखाया गया जिद्दी रवैया है जिसे उच्च न्यायालय ने तूल दिया है।यह, हमारे अनुसार, अदालत की अवमानना के लिए अपीलार्थी को दंडित करने के लिए सही दृष्टिकोण नहीं था।अवमानना याचिका प्रत्यर्थी द्वारा दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी ने सहमति की शर्तों और इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया था।अतः, उच्च न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि वह चर्चा करे और विचार करे, पहली बार में, कि क्या प्रत्यर्थी के ये आरोप सही थे।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

19. इस मामले को देखने का एक और तरीका है।जिन सहमति शर्तों पर पक्षों ने मामले को सुलझा लिया, उनमें समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, अर्थात् दोनों पक्षों ने फिर से एक साथ रहने का फैसला किया।यह उन कार्यवाही में हुआ जो अनिवार्य रूप से बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित थी।इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब दोनों पक्ष वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए सहमत हुए और फिर से पति-पत्नी के रूप में रहने का फैसला किया, तो प्रणव की अभिरक्षा की समस्या अपने आप हल हो गई क्योंकि इससे एक आदर्श स्थिति पैदा हो गई जहां प्रणव अपने दोनों माता-पिता की संगति रख सकता था।दुर्भाग्य से, यह अमल में नहीं आया।इस तरह के मामले में क्या उच्च न्यायालय अपीलार्थी को प्रत्यर्थी की कंपनी में शामिल होने और उसके साथ रहने के लिए मजबूर कर सकता है, अगर उसने कुछ कारणों से ऐसा नहीं करने का फैसला किया था?यहां तक कि जब पति या पत्नी में से किसी एक के पक्ष में एक सक्षम अदालत द्वारा वैवाहिक अधिकारों की डिक्री दायर की जाती है, तो भी इस तरह की डिक्री को निष्पादित नहीं किया जा सकता है और दूसरे पति या पत्नी, जिन्हें वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया जाता है, उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।यह एक अलग मामला है कि इस तरह की डिक्री का पालन नहीं करने के लिए, डिक्री धारक को तलाक लेने के अधिकार सहित अन्य परिणाम सामने आते हैं।जब अपीलार्थी को प्रत्यर्थी की कंपनी में शामिल होने के लिए मजबूर करने और अदालत के आदेश की अवमानना करने में उसे दंडित करने में विफल रहने पर सक्षम अदालत द्वारा पारित डिक्री के संबंध में भी यह स्थिति है, तो वह भी अधिकतम दीवानी कारावास की सजा देकर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।इस तरह के मामले में, उच्च न्यायालय का ध्यान बच्चे की अभिरक्षा पर होना चाहिए था, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का विषय था।हालाँकि, जहाँ तक उस पहलू का संबंध है, उच्च न्यायालय ने बस इतना कहा कि वह प्रत्यर्थी के लिए 16 अप्रैल, 2015 के कनाडाई न्यायालय के आदेश को निष्पादित करने के लिए खुला रहेगा।यहाँ फिर से उच्च न्यायालय गलती में पड़ गया है।वास्तव में, इस तरह के मामले में, उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को बहाल करना चाहिए था और गुण-दोष के आधार पर इसका फैसला करना चाहिए था।हालाँकि, जब प्रत्यर्थी द्वारा इस उद्देश्य के लिए आवेदन दायर किया गया था, तो ऐसा करने के बजाय उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी को अवमानना याचिका दायर करने की स्वतंत्रता देते हुए 05 अक्टूबर, 2017 के आदेश पारित किए।20. हमारी उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हैं जिसके तहत अपीलार्थी को अवमानना के लिए दंडित किया जाता है।प्रत्यर्थी के लिए यह खुला रहेगा कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर करे और यदि वह ऐसा करने का विकल्प चुनता है तो उच्च न्यायालय इस न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में अवमानना याचिका

पर निर्णय लेगा, अर्थात् पहले यह पता लगाने के लिए कि क्या अपीलार्थी अपनी दलीलों में सही है कि वह प्रत्यर्थी ए है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

533

मीनल भार्गव बनाम नवीन शर्मा [ए. के. सिकरी, जे.] ए.

जिसने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए कि अपीलार्थी यू. एस. ए. में प्रणव के साथ प्रत्यर्थीगणओं की कंपनी में शामिल हो। हम प्रत्यर्थी को निष्पादन याचिका दायर करने की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के निर्देश को दरकिनार करके आंशिक रूप से प्रत्यर्थी की अपील की भी अनुमति देते हैं।इसके बजाय दोनों पक्षों की सहमति से, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में प्रत्यर्थी द्वारा दायर विविध आवेदन में 05 अक्टूबर, 2017 को पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को पुनर्जीवित किया जाता है, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष पर विचार किया जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि प्रणव की अभिरक्षा प्रत्यर्थी को सौंपी जानी है या नहीं।हमारे सामने, दोनों पक्षों के पास इस पहलू पर अग्रिम तर्क हैं जबकि अपीलार्थी ने कहा कि प्रणव का कल्याण उसकी माँ के साथ उसकी अभिरक्षा जारी रखने में निहित है।प्रत्यर्थी ने कनाडा की अदालत के आदेश के आधार पर हिरासत का दावा करने के लिए एक जोरदार याचिका दायर की थी।हालाँकि, हम जानबूझकर इस पहलू पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह पहलू उच्च न्यायालय में लंबित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का विषय है और यह उच्च न्यायालय है जिसे पहली बार में इस प्रश्न पर विचार करना और निर्णय लेना है।

बी.

सी.

डी.

21. उपरोक्त दोनों अपीलों को लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना, उपरोक्त शर्तों पर अनुमति दी जाती है।

22. इससे पहले कि हम अलग हों, हम उन पक्षों के आचरण के बारे में कुछ टिप्पणियां करने के लिए विवश हैं जो स्थिति की सच्चाई और वास्तविकता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं।अहंकारी दृष्टिकोण के लिए या तो अपीलार्थी या प्रत्यर्थी या कुछ हद तक दोनों को दोषी ठहराया जाना चाहिए।इसमें कोई संदेह नहीं है कि इससे पहले के अवसरों पर उनके बीच कुछ मतभेद पैदा हुए थे जिसके कारण संबंधों में तनाव पैदा हुआ और अपीलार्थी भारत वापस भी आ गया था।दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ कई कार्यवाही दायर करने के साथ सभी प्रकार की कानूनी लड़ाई शुरू हो गई।पक्षों के बीच संबंधों को घेरने वाले इन काले बादलों में, मध्यस्थता के रूप में एक चांदी की परत उभरी।चूंकि दोनों पक्षों ने समझदारी और परिपक्वता के साथ काम किया, इसलिए मध्यस्थता अभ्यास सफल रहा।दोनों पक्षों ने न केवल एक-दूसरे के खिलाफ अपनी कटुता को दबाया, बल्कि एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। मध्यस्थता का जादू उस समय काम कर गया।मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान समझौते में दर्ज की गई सहमति की शर्तों ने प्रस्ताव लाया जिसे वास्तव में 'जीत-जीत' की स्थिति के रूप में माना जा सकता है।इस समझौते का उद्देश्य वैवाहिक संबंधों में खुशी लाने के उद्देश्य से दोनों पति-पत्नियों को फिर से जोड़ना था।इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वोपरि ब्याज

ई.

एफ.

जी.

एच.

एक बच्चे के रूप में प्रणव को पार्टियों द्वारा स्वीकार किया गया था क्योंकि किसी भी बच्चे को, विशेष रूप से इस उम्र में, उसके खिलने और आदर्श पालन-पोषण के लिए माता-पिता दोनों की संगति की आवश्यकता होती है।वास्तव में, जैसा कि ऊपर उल्लिखित घटनाओं से स्पष्ट है, दोनों पक्षों ने इस समझौते को सफल बनाने के लिए प्रारंभिक कदम भी उठाए।हालाँकि, इससे पहले कि इसे 'सुखद अंत' के रूप में देखा जा सके और पार्टियाँ सड़क के उस छोर तक पहुँच सकें जहाँ वे बस्ती में परिकल्पित रूप से अपना अंतिम गंतव्य पा सकें, उन्हें एक सड़क अवरोध का सामना करना पड़ा।चाहे वह अपीलार्थी की गलती के कारण हुआ हो या प्रत्यर्थी की गलती के कारण, हम उसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि

सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय, पक्ष लगातार शिकायत कर रहे हैं और एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं।ईमानदारी से विचलन को दर्शाने वाला यह आरोप, दोषारोपण, आरोप और विस्तार एक मूर्खतापूर्ण अभ्यास है और इस प्रक्रिया में, प्रणव के सच्चे कल्याण का त्याग करने की कोशिश की जाती है।हम इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि चीजें अभी भी ठीक नहीं हुई हैं।यदि पक्षों ने सकारात्मक और सहयोगात्मक रवैया दिखाया होता (जो हमें यकीन है कि उन्होंने मध्यस्थता वार्ता के दौरान प्रदर्शित किया था) तो वे अभी भी एक सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि अब भी उनके बीच किए गए समझौते की शर्तों पर काम करना संभव है।वास्तव में, प्रत्यर्थी ने बस्ती और वैवाहिक घर को बचाने के लिए एक अतिरिक्त मील जाने की इच्छा व्यक्त की थी।हालाँकि, अपीलार्थी अपने रवैये पर दृढ़ रही क्योंकि वह कहती रही कि वह अब प्रत्यर्थी पर विश्वास और भरोसा नहीं कर सकती।उसे इस बात से नफरत है कि प्रत्यर्थी ने उसे बिना किसी प्यार के प्रणव की हिरासत छीनने के स्वार्थी इरादे से समझौते का लालच दिया और उसके कदमों में ईमानदारी की कमी है।दूसरी ओर, प्रत्यर्थी ने इस स्थिति को बनाए रखा कि अपीलार्थी अपने स्वार्थी उद्देश्यों के कारण झूठ का सहारा ले रही थी, जिन्हें प्राथमिकता में अधिक रखा गया था, यहां तक कि पारिवारिक जीवन की कीमत पर भी।हालाँकि, हम इस बात पर फिर से जोर दे सकते हैं कि सब कुछ नहीं खोया है और स्थिति को अभी भी नियंत्रण में लाया जा सकता है यदि दोनों पक्षों द्वारा अपने अहंकार को अलग रखते हुए एक निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ सोच हो।जीवन में समस्याएं हैं।दलों को उन समस्याओं को समझना होगा और उन कारणों पर विचार करना होगा कि ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई हैं जिससे इस तरह के विवाद पैदा हुए हैं।दोनों पक्षों को भविष्य के बारे में भी सोचना होगा और उस आधार पर अपना मन बनाना होगा कि क्या यह उनके हित में होगा, साथ ही साथ प्रणव के हित में होगा कि वे एक नई शुरुआत करें।हम और नहीं कहते हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

कल्पना के. त्रिपाठी

अपीलों की अनुमति दी गई।

एच.